राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 1955/2011/चुरू.

वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, श्रीगंगानगर. .....अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स रामप्रताप शिवदास, सादुलशहर. .....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री जे. आर. लोहिया, सदस्य

उपस्थित : :

श्री एन. एस. राठौड़,
उप–राजकीय अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.

श्री वी. के. पारीक, अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 21/3/~~2013~~ 2014

निर्णय

यह अपील वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, श्रीगंगानगर (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, बीकानेर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के अपील संख्या 84/आरएसटी/श्रीगंगानगर/10–11 में पारित किये गये आदेश दिनांक 19.4.2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी के वर्ष 2004–05 के लिये राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे **'अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 30, 58 व 65 सपठित नियम 34 के तहत पारित किये गये आदेश **दिनांक 15.9.2009** के विरूद्ध प्रस्तुत अपील को स्वीकार करते हुए प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को पुनः कर निर्धारण आदेश पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी व्यवहारी की आलौच्य अवधि वर्ष 2004–05 का अधिनियम की धारा 28, 65 व 58 के तहत अस्थाई कर निर्धारण आदेश दिनांक 23.6.2006 को पारित किया जाकर रूप्ये 80,640/– की मांग सृजित की गई। तत्पश्चात अधिनियम की धारा 30, 65 व 58 के तहत आदेश दिनांक 29.3.2007 पारित किया जाकर कुल रूपये 1,83,741/– का आरोपण किया गया। प्रत्यर्थी द्वारा उक्त आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई अपील अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 26.9.2007 से स्वीकार करते हुए प्रकरण, पुनः आदेश पारित करने हेतु कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया। उक्त प्रतिप्रेषण आदेश के की अनुपालना में कर निर्धारण अधिकारी ने विवादित आदेश दिनांक 15.9.2009 पारित किया गया। प्रत्यर्थी

लगातार.....2

द्वारा उक्त आदेश के विरूद्ध पुनः अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई, जिसे अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.4.2011 से स्वीकार करते हुए प्रकरण पुनः कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया गया। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश दिनांक 19.4.2011 से व्यथित होकर अपीलार्थी राजस्व द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

बहस के दौरान प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक द्वारा कथन किया गया कि अपीलीय अधिकारी के प्रकरण प्रतिप्रेषित करने सम्बन्धी अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.4.2011 की पालना में सहायक आयुक्त, (प्रति करापवंचन) वाणिज्यिक कर विभाग, श्रीगंगानगर द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2006 की धारा 30, 65 व 58 सपठित नियम 34 के तहत पुनः कर निर्धारण आदेश दिनांक **22.07.2013** को पारित किया जा चुका है, जिसके परिणामस्वरूप राजस्व द्वारा प्रस्तुत अपील निष्प्रभावी हो चुकी है। उक्त आदेश की प्रति कर निर्धारण अधिकारी की पत्रावली में संलग्न है। उक्त कथन के साथ विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा राजस्व की अपील निष्प्रभावी हो जाने से अस्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया।

बहस के दौरान विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक द्वारा विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थी व्यवहारी के अभिकथन से सहमति व्यक्त करते हुए प्रकरण का निस्तारण किये जाने का अनुरोध किया गया।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा अपीलीय अधिकारी व कर निर्धारण अधिकारी की पत्रावलियों एवं कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के प्रतिप्रेषित अपीलाधीन आदेश **दिनांक 19.4.2011** की पालना में पारित किये गये पुनः कर निर्धारण आदेश **दिनांक 22.7.2013** का अवलोकन किया गया।

प्रकरण में उपलब्ध रेकॉर्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित विवादित आदेश दिनांक 15.9.2009 के विरूद्ध प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से प्रस्तुत अपील में अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.4.2011 में वर्णित निर्देशों की अनुपालना करते हुए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2006 के नियम 35 के तहत पुनः कर निर्धारण आदेश **दिनांक 22.7.2013** को पारित किया जा चुका है।

लगातार.....3

अतएव अपीलीय अधिकारी के प्रतिप्रेषित आदेश की पालना में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पुनः कर निर्धारण आदेश पारित कर दिये जाने के पश्चात अब प्रकरण प्रतिप्रेषित करने सम्बन्धी अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध विचाराधीन अपील चलने योग्य नहीं रहती है। माननीय राजस्थान कराधान अधिकरण के न्यायिक दृष्टान्त **वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन बनाम मैसर्स विशाल ट्रेडिंग कम्पनी [(1997) 20 टैक्स वर्ल्ड 61]** के अभिनिर्णय में भी ऐसा ही सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है।

परिणामस्वरूप राजस्व द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन (Infructuous) हो जाने से एतद्द्वारा खारिज की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(जे. आर. लोहिया)
सदस्य
21/03/14